कार्यालय अन्नापूर्णा प्रोजैक्ट मार्फत जिला रैड क्रास शाखा,अम्बाला।

निविदा सूचना

जिला रैडक्रास सोसाइटी,अन्नापूर्णा प्रोजैक्ट,सिविल अस्पताल अम्बाला शहर के लिये वर्ष 2020-21 हेतू करयाना सामान की सप्लाई करने के लिये निविदांए आमत्रित है जो कि दिनांक 02/12/2020 को 01.00 Pm बजे तक कार्यालय जिला रैड क्रास सोसाइटी,अम्बाला में जमा करवाई जा सकती है,निविदांए बाद दोपहर 02.30 बजे कार्यालय नगराधीश,अम्बाला में खोली जायेगी,निविदा अवधी एक वर्ष के लिए होगी।इच्छूक पार्टिया/फर्मे जिनको सामान सप्लाई करने का तीन वर्ष का अनुभव है,अपने पहचान पत्र के साथ निविदा में शामिल हो सकता है इसके अतिरिकत निविदांए देने से पहले पार्टी/फर्म को राशि मु0 25000/-रूपये बैंक ड्राफट जो कि District Red Cross Society Ambala Annapurna के पक्ष में हो, जिला रैड क्रास सोसाईटी,अम्बाला के कार्यालय में जमा करवाना होगा। सामान सप्लाई के नियम,शर्ते एव सूची अन्नापूर्णा प्रोजैक्ट कार्यालय ट्रामा सैंटर सिविल अस्पताल तथा कार्यापय जिला रैड क्रास सोसाईकी,अम्बाला कोर्ट रोड में देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त जिला रैड प्रशासन की वैबसाईट WWW.ambala.gov.in पे भी उपलब्ध है।

सचिव

जिला रैड क्रास सोसाईटी,

अम्बाला।01712530556

निविदा हेतू नियम एव शर्ते

1. निविदा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी।
2. फर्म/होल सेल विक्रेता द्वारा निविदा हेतू फार्म कार्यालय जिला रैड क्रास सोसायटी अन्नापूर्णा मुबलिग 1000/-रूपये की राशि से प्राप्त करना होगा,जिसकी राशि नॉन रिफंडेबल होगी।
3. फर्म होल-सेल विक्रेता सामान सप्लाई के लिये वैद्य होगा।
4. फर्म होल-सेल विक्रेता के पास अपना GST/PAN/ADHAR card नम्बर वा अन्य कागजात पूर्ण होने चाहिए,जिसकी स्वयंसत्यापित फोटोप्रतियां फार्म के साथ संलग्न की जानी है।
5 निविदा में हिस्सा लेने के लिये फर्म होल-सेल विक्रेता के पास कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिये,जिसके लिये उसे पिछले तीन वर्ष की रिटर्न की प्रतिंया निविदा फार्म के साथ जमा करवानी होगी।
6 निविदा हेतू कूटेशन फार्म भरकर सभी कागजात सहित बंद लिफफे में टैंडर आमत्रित करने की तिथि 02.12.2020 को 01.00 Pm. बजे तक कार्यालय जिला रैड क्रास सोसायटी,अम्बाला में जमा करवाना होगा । तथा निविदांए बाद दोपहर 02.30Pm बजे कार्यालय नगराधीश,अम्बाला में खोली जायेगी।
7. फर्म होल-सेल विक्रेता द्वारा कार्यालय द्वारा सामान का परचेज आर्डर प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर-2 सामान की सप्लाई देने के लिये बाध्य रहेगा।
8. फर्म होल-सेल विक्रेता को किसी भी सूरत में एडवांस राशि का भुगतान नही किया जायेगा और ना ही फर्म द्वारा इस प्रकार की मांग की जायेगी।
9. फर्म होल-सेल विक्रेता द्वारा निर्धारित रेट पर सामान की सप्लाई नागरिक अस्पताल,अम्बाला शहर में उपलब्ध करवानी होगी,जिसके लिये किसी भी प्रकार का अन्य चार्जज कार्यालय द्वारा नहीं दिया जायेगा ।
10. फर्म/होल-सेल विक्रेता द्वारा सप्लाई किये जाने वाले सामान वा सम्बधित ब्रांड की सूचि कार्यालस में देखी जा सकती है,संलग्न सूचि में चिन्हित ब्रांड के अलावा अन्य ब्रांड का सामान रिसिव नहीं किया जायेगा।
11. निविदा में हिस्सा लेने हेतु मु0 25 हजार रूप्ये का बैंक ड्राफट District Red Cross Society,Ambala Annapurna के नाम जमा करवाना होगा।
12. निविदा में हिस्सा लेने हेतु व्यक्तिों / फर्म/होल-सेल विक्रेता को अपना पहचान पत्र से सम्बधित दस्तावेज लाना जरूरी होगा,जिसमें PAN CARD,TAN CARD ADHAR CARD & GST NUMBER COPY इत्यादि शामिल हैं।
13. यह है कि ठेका अवधि शुरू में एक वर्ष के लिए होगी ।
14. निर्धरित मुल्य व समय पर सामान सप्लाई प्राप्त ना होने की स्थिति में ठेका/टैंडर रदद करने के लिये माननीय उपायुक्त एंव प्रधान,जिला रैड क्रास सोसायटी,अम्बाला,अन्नापूर्णा को पुर्ण अधिकार होगा।
15. टैंडर रदद होने की स्थिति में फर्म की जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
16. फर्म होल-सेल विक्रेता द्वारा केवल ब्रांडिड,अच्छी गुणवता व FSSAI से प्रमरणित खाद्य सामग्री ही सप्लाई की जायेगी ।
17. यदि किसी अवस्था में यह पाया जाता है कि सप्लाई किये गये सामान अच्छी गुणवता/ब्रांड का नहीं पाया जाता तथा इन खाद्य वस्तुओं के उपयोग से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है तो ठेका अवधि तुरंन्त प्रभाव से रदद कर दी जायेगी तथा ठेकेदार के विरूद्व नियमानुसार कार्यवही भी की जायेगी।
18. इस टैंडर/ठेके के लिए उपरोक्त नियम व शर्तो में बिना किसी सूचना के अन्य शर्ते जोडने तथा बदलाव करने का अधिकार उपायुक्त, अम्बाला को होगा।
19. यदि कभी ऐसा पाया गया कि मैर्स्ज उपरोकत नियम व शर्तो की अवहेलना कर रहे है तथा इनका व्यवहार कार्यालय कर्मचारियों के साथ ठीक नहीं है तो उपायुक्त एव प्रधान जिला रैड क्रास शाखा अम्बाला को बिना किसी सूचना के ठेका अवधि को तुरंन्त रदद करने का अधिकार होगा।
20. यह कि यदि किसी प्रकार का कोई झगडा या झगडे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है,तो स्थिति/झगडे को सुलझानें में प्रथम अपीलीय अधिकारी उप मण्डल अधिकारी (ना0),अम्बाला शहर होंगे तथा अंतिम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी उपायुक्त अम्बाला होंगे तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षो को स्वीकारय होगा। इस अधिकार के तहत उपायुक्त,अम्बाला को अन्नापूर्णा प्रोजैक्ट से सम्बन्धित नियम व शर्तो में बदलाव व अन्य शर्ते जोंडने का एकाधिकार होगा तथा किसी भी पक्ष को उपायुक्त,अम्बाला के एकाधिकार को चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा ।